

कार्यालय नगरपालिका परिषद, आष्टा, जिला-सीहोर, म.प्र.

क्रमांक / 154 / त.क.शा. / न.पा. / 2019

आष्टा दिनांक 27/12/19

प्रति,

श्रीमान कलेक्टर महोदय
सीहोर, जिला सीहोर, म.प्र.

विषय:- मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के अंतर्गत रामपुरा जलाशय से आष्टा नगर तक पाईप लाईन विस्तार हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र प्रदान करने बावत्।

—000—

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि सीहोर जिले अंतर्गत आष्टा तहसील में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के अंतर्गत रामपुरा जलाशय से आष्टा नगर तक पाईप लाईन विस्तार कार्य प्रस्तावित है, जिसमें से 0.192 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हो रही है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि रामपुरा जलाशय से आष्टा नगर तक पाईप डालकर पानी सप्लाई किये जाने हेतु वन अधिकार अधिनियम प्रमाण पत्र प्रदान करने का कष्ट करें।

(154)
आदित्य तलनीकर
उपयंत्री
न.पा.परिषद, आष्टा

पृ. क्रमांक / / त.क.शा. / न.पा. / 2019
प्रतिलिपि—

आष्टा दिनांक

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

आदित्य तलनीकर
उपयंत्री,
न.पा.परिषद, आष्टा